

डिक्री मुकदमा इब्दादाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलक्टर टोडाभीम

इजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

- | | | | |
|---|-----------|-------------------|--|
| 1 | किशोरीलाल | } पि. गिराज | } जाति बैरवा, निवासी गहरोली तह0
टोडाभीम जिला करौली राज0 |
| 2 | लल्लूराम | | |
| 3 | रूपचंद | | |
| 4 | तुलसा | } पुत्रियां गिराज | |
| 5 | दुर्गा | | |

बनाम

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | गोपाल पुत्र दूदया मृतक
1/1 फूलसिंह } पि. गोपाल
1/2 प्रवीण } | } समस्त जाति बैरवा, निवासी गहरोली
तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 |
| 2 | सीताराम पुत्र हरसहाय | |
| 3 | शान्ति बेवा हरसहाय | |
| 4 | गीता पुत्री हरसहाय | |
| 5 | कमली पुत्री हरसहाय | |
| 6 | विशराम पुत्र लाला | |
| 7 | सुमन देवी पत्नि ओमप्रकाश, जाति बैरवा, निवासी गहरोली तह0
टोडाभीम जिला करौली राज0। | |
| 8 | ललिता देवी पत्नि चेताराम, जाति बैरवा, निवासी संवास तह0 सिकराय
जिला दौसा राज0। | |
| 9 | तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0। | |

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकहरारहक बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 52/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई हमारे व हाजिरी सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रुबरु संजय गहलोत एडवोकेट एवं रामोतार शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 ता 6 की ओर से मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि :-

अतः दावा वादी मय काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाता है। वादी किशोरी लाल पुत्र गिराज जाति बैरवा निवासी सा.देह को ग्राम गहरोली की आराजी ख0न0 128/1 रकवा 0.0882 है0, रूपचन्द पुत्र गिराज जाति बैरवा सा.देह को ख0न0 128/2 रकवा 0.0882 है0, लल्लू पुत्र गिराज जाति बैरवा सा.देह को ख0न0 128/3 रकवा 0.0882 है0, तुलसा, दुर्गा पुत्रियां गिराज जाति बैरवा सा.देह को ख0न0 128 रकवा 0.1766 है0 का खातेदार काश्तकर

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

घोषित किया जाता है। प्रतिवादी न० 2 ता 5 सीताराम पुत्र हरसहाय, शांति पत्नि हरसहाय, गीता, कमली पुत्रिया हरसहाय हि.ब. जाति बैरवा सा.देह को ख०न० 128/4 रकवा 0.0858, 125/1 रकवा 0.0113, 128/6 रकवा 0.0500, है० का एवं प्रतिवादी न० 1/1 से 1/3 फूलसिंह, प्रवीण पि० गोपाल, कमलेश पुत्री गोपाल हि.ब. जाति बैरवा सा.देह को ख०न० 128/5 रकवा 0.0792, 125 रकवा 0.0679, है० का, प्रतिवादी न० 6 विशराम पुत्र लाला जाति बैरवा सा.देह को ख०न० 123 रकवा 0.3248, 125/2 रकवा 0.0662 है० का प्रतिवादी न० 7 सुमन देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति बैरवा सा.देह. को ख०न० 123/2 रकवा 0.0084, प्रतिवादी न० 8 ललिता देवी पत्नि चेताराम जाति बैरवा निवासी संवास तहसील सिकराय को ख०न० 123/1 रकवा 0.0418 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा ख०न० 124 रकवा 0.01 किस्म गै०मु० कुआँ एवं ख०न० 127 रकवा 0.02 है० किस्म गै०मु० रास्ता नन्दराम, ओमप्रकाश पि० लक्ष्मण, किस्तूरी पुत्री लक्ष्मण हि.ब. 1/12, फूल सिंह, प्रवीण पि० गोपाल, कमलेश पुत्री गोपाल हि.ब. 1/12, सीताराम पुत्र हरसहाय, शांति पत्नि हरसहाय, गीता, कमली पुत्रिया हरसहाय हि.ब. 1/12, किशोरी लाल, लल्लूराम, रूपचन्द पि. गिराज, तुलसा, दुर्गी पुत्रीया गिराज हि.ब. 1/4, धीरसिंह, धनश्याम, धनपाल पि. सुगन्या हि.ब. 1/4, विशराम पुत्र लाला हि. 1/4, जाति बैरवा सा.देह के नाम हिस्सानुसार रहेगे। आराजी ख.न. 126 रकवा 0.17 है० फूल सिंह, प्रवीण पि० गोपाल, कमलेश पुत्री गोपाल हि. 212/1700, सीताराम पुत्र हरसहाय, शांति पत्नि हरसहाय, गीता, कमली पुत्रिया हरसहाय हि. 212/1700, किशोरी लाल, लल्लूराम, रूपचन्द पि. गिराज, तुलसा, दुर्गी पुत्रीया गिराज हि 638/1700, विशराम पुत्र लाला हि. 638/1700 जाति बैरवा सा.देह के नाम हिस्सानुसार रहेगा। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा।

निज मुबलिग बाबत्
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशहर फीसदी
 मालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा



बसख्त मेरे दस्तखत व मुहद अदालत के आज तारीख 08.07.2019 को जारी की गई।

(Signature)
 उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करौली)
 टोडाभीम

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
	मीजान			मीजान	

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.- 52/18

तारीख रजू :- 08.05.2018

पीठासीन अधिकारी :- श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

- | | | | |
|---|-----------|-------------------|--|
| 1 | किशोरीलाल | } पि. गिराज | जाति बैरवा, निवासी गहरोली तह0
टोडाभीम जिला करौली राज0 |
| 2 | लल्लूराम | | |
| 3 | रूपचंद | | |
| 4 | तुलसा | } पुत्रियां गिराज | |
| 5 | दुर्गी | | |

वादीगण

बनाम

- | | | | |
|-----|--|-------------------------------|--|
| 1 | गोपाल पुत्र दूदया मृतक | } पि. गोपाल | समस्त जाति बैरवा, निवासी गहरोली
तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 |
| 1/1 | फूलसिंह | | |
| 1/2 | प्रवीण | | |
| 1/3 | कमलेश पुत्री गोपाल | | |
| 2 | सीताराम पुत्र हरसहाय | | |
| 3 | शान्ति बेवा हरसहाय | | |
| 4 | गीता पुत्री हरसहाय | } तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 | |
| 5 | कमली पुत्री हरसहाय | | |
| 6 | विशराम पुत्र लाला | | |
| 7 | सुमन देवी पत्नि ओमप्रकाश, जाति बैरवा, निवासी गहरोली तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0। | | |
| 8 | ललिता देवी पत्नि चेताराम, जाति बैरवा, निवासी संवास तह0 सिकराय जिला दौसा राज0। | | |
| 9 | तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0। | | |

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकहरारहक बंटवारा


एवं स्थायी निषेधाज्ञा


- स्थित :-
- 1 सुरेश चन्द शर्मा - अभिभाषक वादीगण
 - 2 संजय गहलौत एडवोकेट एवं रामोतार शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 ता 6 की ओर से

निर्णय

दिनांक- 08.07.19

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी आराजी ख0नं0 123/0.88, 124/0.01, 125/0.20 126/0.17, 127/0.02, 128/0.77है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.05है0 ग्राम गहरोली में स्थित है। जो वर्तमान जमाबंदी सं 2072-2075 में अंकित है। उक्त आराजीयात में से घनश्याम, वीरसिंह, धनपाल पि. सुगन्या हि0 1/4 तथा नंदराम, ओमप्रकाश पि. लक्ष्मण, किस्तूरी पुत्री लक्ष्मण हि0 1/12 ने अपना बंटवारा न्यायालय के आदेश नामा. 912 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा कराकर नये नम्बर अंकित करा लिये है। शेष खसरा नम्बरान में वादीगण तथा प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 खातेदार है। प्रतिवादी नं0 6 द्वारा अपना कुछ हिस्सा प्रतिवादी नं0 7 व 8 को बेचान कर दिया है। आराजी ख0नं0 123 रकबा 0.3750है0, 125 रकबा 0.1454है0, 126



उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)



3750 है 0, 125 रकबा 0.1454 है 0, 126 रकबा 0.17 है 0, 128 रकबा 0.6562, 124 रकबा 0.01 है 0, 127/0.02 है 0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.37 है 0 ग्राम गहरोली में स्थित है। जिसमें वादीगण 0.51 है 0 प्रतिवादी नं 6, 7, 8 बहिस्सा 0.51 है 0, प्रतिवादी नं. 1 बहिस्सा 0.17 है 0 तथा प्रतिवादी नं 2 ता 5 बहिस्सा 0.17 है 0 के खातेदार है। यानि वादीगण उक्त आराजी में 2/5 हिस्से खातेदार है। शेष हिस्से के प्रतिवादीगण अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा वे अपने अपने हिस्से पर काबिज है। लेकिन कौन कौन किस किस नम्बर पर बैठा है पता नहीं है। तथा रिकार्ड बंटवारा नहीं हुआ है तथा जमीन की कीमते बढ़ जाने के कारण आये दिन विवाद बना रहता है। वादीगण द्वारा दिनांक 02.05.2018 को प्रतिवादीगण से बंटवारा कराने को कहा कि घनश्याम बगै 0 तथा नंदराम बगै 0 द्वारा बंटवारा करा लिया है अब हम तहसील में चलकर बंटवारा करा लेते है। तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया तथा कहा कि उन्होंने बंटवारा कराकर अच्छी जमीन ले ली है। इसलिये हम कहीं नहीं जायेगे ना ही बंटवारा करायेगे तथा तुम्हारी जमीन पर भी कब्जा कर लेगे। इसलिये प्रतिवादीगण अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तथा वादीगण की जमीन का बंटवारा नहीं कराकर कब्जा कर लिया तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है कि वादीगण का हिस्सा अलग कर खातेदारी अलग अलग कर दी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित हुये, उन्होंने जबाब दावे में अधिकतम मदो को स्वीकार करते हुये काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने हिस्से की अलग खातेदारी करने का तथ्य जाहिर किया।

मेने उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का अवलोकन किया। यह दोनो ही पक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहस में बताया कि वाद बंटवारे का है। तथा मुताबिक जमाबंदी अपने हिस्से व कब्जेनुसार बंटवारा कराकर अलग खातेदारी चाहते है। जमाबंदी के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि पूर्व के कुछ खातेदारान नन्दराम, ओमप्रकाश पि. लक्ष्मण, किस्तूरी पुत्री लक्ष्मण द्वारा अपना हिस्सा 1/12 तथा वीरसिंह, घनश्याम धनपाल पि. सुगन्या बैरवा हि 0 1/4 द्वारा आराजी में से अपना हिस्सा अलग करा दिया लिया है। तथा खातेदार विशराम पुत्र लाला द्वारा एक ख 0 नं 123 रकबा 0.88 है 0 में प्रतिवादी नं 7 सुगनदेवी को 418/8800 प्रतिवादीगण नं 8 ललिता देवी 84/8800 हिस्सा पूर्व में बेचान कर दिया है। इस प्रकार कुछ खातेदारान का अपने हिस्सेनुसार बंटवारा करा लेने के कारण तथा विशराम द्वारा जमीन का बेचान करने के कारण आराजीयात "ख 0 नं 123/0.3750 वादीगण बहिस्सा 1406/3750 के प्रतिवादी नं 1/1 ता 1/3 जो मृतक गोपाल के वारिसान है। 469/3750 प्रतिवादी नं 2 ता 5 बहिस्सा 469/3750 प्रतिवादी नं 6 बहिस्सा 904/3750 प्रतिवादी नं 7 बहिस्सा 418/3750 तथा प्रतिवादी नं 8 बहिस्सा 84/3750 के खातेदार है तथा ख 0 नं 125/0.1454, 126/0.17, 128/0.6562 में किता 3 कुल रकबा 0.97 है 0 में वादीगण बहिस्सा 3642/9716 प्रतिवादी नं 1/1 ता 1/3 जो मृतक गोपाल के वारिसान है। बहिस्सा 1214/9716 प्रतिवादी नं 2 ता 5 बहिस्सा 1214/9716 तथा प्रतिवादी नं 6 बहिस्सा 3642/9716 के खातेदार है।" तथा ख 0 नं 124





रकवा 0.01 है 0 गैर मु. कुओं तथा ख0न0 127 रकवा 0.02 है 0 गैरमुमकिन रास्ता है। जिनका बटवारा हो पाना संभव नहीं है। इसलिये मुताबिक जमाबंदी का हिस्सानुसार दावा प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।

वकील उभयपक्ष ने बटवारा स्कीम का अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया बटवारा स्कीम के अनुसार दावा डिक्री योग्य किए जाने योग्य होने से दावा फाईनल डिक्री किया जाता है।

वादी किशोरी लाल पुत्र गिराज जाति बैरवा निवासी सा.देह को ग्राम गहरौली की आराजी ख0न0 128/1 रकवा 0.0882 है 0, रूपचन्द पुत्र गिराज जाति बैरवा सा.देह को ख0न0 128/2 रकवा 0.0882 है 0, लल्लू पुत्र गिराज जाति बैरवा सा.देह को ख0न0 128/3 रकवा 0.0882 है 0, तुलसा, दुर्गी पुत्रिया गिराज जाति बैरवा सा.देह को ख0न0 128 रकवा 0.1766 है 0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी न0 2 ता 5 सीताराम पुत्र हरसहाय, शांति पत्नि हरसहाय, गीता, कमली पुत्रिया हरसहाय हि.ब. जाति बैरवा सा.देह को ख0न0 128/4 रकवा 0.0858, 125/1 रकवा 0.0113, 128/6 रकवा 0.0500, है 0 का एवं प्रतिवादी न0 1/1 से 1/3 फूलसिंह, प्रवीण पि0 गोपाल, कमलेश पुत्री गोपाल हि.ब. जाति बैरवा सा.देह को ख0न0 128/5 रकवा 0.0792, 125 रकवा 0.0679, है 0 का, प्रतिवादी न0 6 विशराम पुत्र लाला जाति बैरवा सा.देह को ख0न0 123 रकवा 0.3248, 125/2 रकवा 0.0662 है 0 का प्रतिवादी न0 7 सुमन देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति बैरवा सा.देह को ख0न0 123/2 रकवा 0.0084, प्रतिवादी न0 8 ललिता देवी पत्नि चेताराम जाति बैरवा निवासी संवास तहसील सिकराय को ख0न0 123/1 रकवा 0.0418 है 0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा ख0न0 124 रकवा 0.01 किरम गै0मु0 कुओं एवं ख0न0 127 रकवा 0.02 है 0 किरम गै0मु0 रास्ता नन्दराम, ओमप्रकाश पि0 लक्ष्मण, किस्तूरी पुत्री लक्ष्मण हि.ब. 1/12, फूल सिंह, प्रवीण पि0 गोपाल, कमलेश पुत्री गोपाल हि.ब. 1/12, सीताराम पुत्र हरसहाय, शांति पत्नि हरसहाय, गीता, कमली पुत्रिया हरसहाय हि.ब. 1/12, किशोरी लाल, लल्लूराम, रूपचन्द पि. गिराज, तुलसा, दुर्गी पुत्रीया गिराज हि.ब. 1/4, धीरसिंह, धनश्याम, धनपाल पि. सुगन्या हि.ब. 1/4, विशराम पुत्र लाला हि. 1/4, जाति बैरवा सा.देह के नाम हिस्सानुसार रहेगे। आराजी ख.न. 126 रकवा 0.17 है 0 फूल सिंह, प्रवीण पि0 गोपाल, कमलेश पुत्री गोपाल हि. 212/1700, सीताराम पुत्र हरसहाय, शांति पत्नि हरसहाय, गीता, कमली पुत्रिया हरसहाय हि. 212/1700, किशोरी लाल, लल्लूराम, रूपचन्द पि. गिराज, तुलसा, दुर्गी पुत्रीया गिराज हि. 638/1700, विशराम पुत्र लाला हि. 638/1700 जाति बैरवा सा.देह के नाम हिस्सानुसार रहेगा। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनया गया।




(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम